राजस्व प्रार्थना पत्र 6/2022
जीसीएमएसम नंबर 2022/78
चुकली बनाम् सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टए एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र– 6/2022

प्रार्थी–

1. चुकली पत्नी जियाराम जाति जाट , निवासी– बुगरड़ा
   तहसील–जायल , जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री जीयाराम गोदारा
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :– 18/05/2022

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया का वास्तविक नाम चुकली पत्नी जियाराम ही है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा रूणियां तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 48 के खसरा नम्बर 29 खातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थीया के मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या आरजे/02/192/0261065, जन आधार कार्ड संख्या 4874506844 , 50 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रार्थी का शपथ पत्र व आधार कार्ड संख्या 9180 2104 5736 , राशन कार्ड संख्या 200000402364, एसबीबीजे बैंक शाखा बुगरड़ा के खाता संख्या 37265319125 की बैंक डायरी मे प्रार्थीया का सही नाम चुकली पत्नी जियाराम दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थीया को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक 3035 दिनांक 21.04.2022 को मय हल्का पटवारी बुगरड़ा की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थीया का नाम ऑनलाईन जमांबदी संम्वत 2073–2076 स्थायी में चुकी देवी पत्नी जियाराम

18/05/2022

खातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थीया के ग्राम रूणिया के खाता संख्या 48 खसरा नंबर 29 में खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थीया को गांव में वर्तमान में भी चुकी देवी के नाम से जाना व पुकारा जाता है। प्रार्थीया के अन्य दस्तावेज मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या आरजे / 02 / 192 / 0261065, जन आधार कार्ड संख्या 4874506844 , 50 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रार्थी का शपथ पत्र व आधार कार्ड संख्या 9180 2104 5736 , राशन कार्ड संख्या 200000402364, एसबीबीजे बैंक शाखा बुगरड़ा के खाता संख्या 37265319125 की बैंक डायरी में नाम चुकली पत्नी जियाराम दर्ज है। प्रार्थीया ने मुतदाविया खेताय दिनांक 15.06.1982 को नारायणनाथ निवासी रूणियां से जरिये रजिर्स्टड विक्रय पत्र खरीद किया था जिसमें प्रार्थीया का नाम सहवन से चुकी देवी दर्ज किया था। प्रार्थीया को गांव में बोलचाल में जसु नाम से पुकारने के कारण प्रार्थीया का नाम नामान्तकरण को दर्ज करते समय चुकी देवी दर्ज किया गया था। उपस्थित मौतबिरानों ने चुकी देवी तथा चुकली देवी दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति / महिला के होना बताया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी रूणियां तहसील जायल की रिपोर्ट, मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या आरजे / 02 / 192 / 0261065, जन आधार कार्ड संख्या 4874506844 , 50 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रार्थी का शपथ पत्र व आधार कार्ड संख्या 9180 2104 5736 , राशन कार्ड संख्या 200000402364, एसबीबीजे बैंक शाखा बुगरड़ा के खाता संख्या 37265319125 की बैंक डायरी तथा ग्राम रूणियां नकल खतौनी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 48 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थीया की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में रूणियां के खतौनी सं. 48 में अंकित खसरान् में प्रार्थीया का नाम चुकी देवी पत्नी ओमप्रकाश के स्थान पर चुकली पत्नी जियाराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज रूणियां तहसील के खतौनी सं. 48 में वर्णित खसरान की भूमि जो कि प्रार्थीया की खरीदसुदा भूमि है जिसके नामान्तकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है तथा खातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या आरजे / 02 / 192 / 0261065, जन आधार कार्ड संख्या 4874506844 , 50 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रार्थी का शपथ पत्र व आधार कार्ड संख्या 9180 2104 5736 , राशन कार्ड संख्या 200000402364, एसबीबीजे बैंक शाखा बुगरड़ा के खाता

संख्या 37265319125 की बैंक डायरी की फोटो प्रति में प्रार्थीया चुकी देवी एवं चुकली एक ही व्यक्ति/महिला के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थीया का सही नाम जो कि खरीद सुदा भूमि के नामान्तकरण के समय चुकली के स्थान पर चुकी देवी दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि चुकी देवी एवं चुकली दोनो एक ही महिला/व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम रूणियां के खाता संख्या 48 में दर्ज खातेदार नाम चुकी देवी पत्नी जियाराम के स्थान पर वास्तविक नाम चुकली पत्नी जियाराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम रूणियां तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 48 दर्ज नाम चुकी देवी पत्नी जियाराम के स्थान पर चुकली पत्नी जियाराम दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 10/05/2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

10/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल